बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार
द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना-23, बिहार ✉-scpsbihar@gmail.com; ☎-0612 2545033

पत्रांक-05 / रा0बा0सं0स0(CNCP)-01 / 2015-अंश-2- 65

प्रेषक,

सुनील कुमार, भा0प्र0से0,
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
बिहार।

पटना, दिनांक- 29/01/2018

विषयः- संशोधित अधिसूचना के अनुसार परवरिश योजना का लाभ लाभुकों देने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा ज्ञापांक-5721, दिनांक-27.11.2017 द्वारा परवरिश योजना में संशोधन किया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः निदेश दिया जाता है कि संशोधित अधिसूचना के आलोक में परवरिश योजना का लाभ लाभुकों को देना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
29.1.18
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 27.11.17

संख्या-03/यो0-29/2017 5721 राज्य के अन्तर्गत अनाथ, बेसहारा, दुसाध्य रोगों से पीडित रोगों तथा इन दुसाध्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण आदि एवं बाल अधिकारों एवं संरक्षण हेतु पूर्व से चली आ रही योजनाओं को यथासंशोधित करते हुए योजना एवं विकास के ज्ञापांक 195 (लो0वि0)/यो0वि0, पटना दिनांक 01.11.2017 द्वारा लोक वित समिति की अनुशंसा एवं दिनांक 21.11.2017 को मंत्रिपरिषद द्वारा संचिका संख्या- 03/यो0-29/2017 के पृष्ट संख्या-7/टि0 पर प्राप्त स्वीकृति के आलोक में मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस छत्र योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित योजनाओं को यथासंशोधित किया गया है तथा अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेगी। योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु योजना का प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदेश निर्गत किया जायेगा। मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना निम्न प्रकार है-

2. उद्देश्य

इस छत्र-योजना का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं यथा, आपातकालीन पहुंच, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं समर्थन सेवाओं की राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थापित करना तथा बाल अधिकारों एवं संरक्षण विषय पर आमजनो को जागरूक करना तथा सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना तथा अनाथ, बेसहारा, दुसाध्य रोगों से पीडित बच्चों तथा इन दुसाध्य रोगों से पीडित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एम.आई.एस. और बाल ट्रैकिंग प्रणाली सहित बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया का सृजन करना तथा कार्य करने के सभी स्तरों पर प्रशासकों तथा सेवा प्रदाताओं सहित सभी पदाधिकारियों जिनमें स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य को आइ.सी.पी.एस. के तहत् दायित्व लेने के लिए प्रशिक्षण देकर क्षमताएं बढ़ाना है।

3. छत्र योजना का विवरण-

इस छत्र-योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:-

3.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण- इस योजना के अंतर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जायेगा एवं

दत्तकग्रहण सहित सभी गैर-संस्थानिक देखभाल से संबंधित सभी योजना घटकों की स्थापना, संचालन तथा अनुश्रवण राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अनुश्रवण एवं निगरानी समितियॉ - जिला स्तर पर इस छत्र-योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करेगी एवं जिलों में जिला परिषद् अध्यक्ष की अध्यक्षता तथा जिला पदाधिकारी की सह अध्यक्षता में योजना के अनुश्रवण हेतु जिला बाल संरक्षण कमिटी तथा सभी प्रखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड में भी बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर निषेधात्मक कार्रवाई करने हेतु बाल संरक्षण समितियॉ गठित की जायेंगी।

(iii) बाल देखरेख संस्थान का संचालन- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (18 वर्ष से कम आयु वर्ग) हेतु जिलों में बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं खुला आश्रय का संचालन किया जायेगा एवं विधि विवादित बच्चों हेतु पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान का संचालन किया जायेगा।

(iv) गैर संस्थानिक कार्यक्रम- दत्तक ग्रहण, क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(v) किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाईल्डलाईन कार्यरत है। सभी जिलों में विधि विवादित बच्चों के मामलों में संज्ञान लेने हेतु किशोर न्याय परिषद् तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने, हिंसा, दुर्व्यवहार आदि से बचाने तथा बच्चों से संबंधित मामलों में जॉच करने के लिए सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस का गठन किया जायेगा एवं विषम परिस्थिति में पाये जाने वाले बच्चों की सहायता हेतु आपातकालीन सेवा चाइल्डलाईन (टॉल फ्री न0 1098) संचालित की जायेगी।

3.2 परवरिश योजना

अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोग से पीड़ित (एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता-पिता के संतान के बेहतर पालन-पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

4. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा-:

4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण/विशेष/बाल गृह /सुरक्षित स्थान का संधारण एवं पर्यवेक्षण/बाल गृह का निर्माण मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 प्रतिशत एवं किशोर न्याय परिषद/बाल कल्याण समिति मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35:65 प्रतिशत तथा स्वयंसेवी संस्थान द्वारा

संचालित बाल गृह/दत्तकग्रहण संस्थान/खुला आश्रयों के संधारण मद में केन्द्र, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्था का अंशदान 60:30:10 प्रतिशत होगी।

4.2 परवरिश योजना

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जायेगा। संपूर्ण राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी।

5. देय राशि

देय राशि का भुगतान निम्नवत किया जायेगा -

5.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/अभ्यर्पित/परित्यक्त बच्चे को बाल गृह/खुला आश्रय एवं विशिष्ट दतकग्रहण संस्थान (0-6 वर्ष) में आवासित एवं विधि विवादित बच्चे को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किया जाता है, वहां बच्चों के अनुरक्षण मद में 2000/-रू0 प्रतिमाह की दर से व्यय की जायेगी तथा प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत आच्छादित लाभान्वितों हेतु 2000/-रू0 प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है। उक्त मदों में केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दर लागू होगा।

(ii) इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधान के आलोक में किशोर न्याय परिषद् अथवा बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जायेगा।

5.2 परवरिश

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में 0-13 वर्ष के बच्चों हेतु 1000/-रू0 प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है।

6. पात्रता

इस छत्र-योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

6.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/अभ्यर्पित/परित्यक्त बच्चे एवं विधि विवादित बच्चे। इस योजना के तहत कार्यरत गैर सरकारी संस्था की न्यूनतम अहर्ता समय-समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों की अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता

और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

6.2 परवरिश योजना

0-18 वर्ष आयु वर्ग के निम्न श्रेणी के बच्चों के लिए इस योजना का लाभ एक वर्ष के लिए देय होगा परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीकरण हो सकेगा बशर्ते कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न हो

(i) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रूपये से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ii) वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेंगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी |

(iii) एच.आई.वी.(+)/एड्स या Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोग से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

7. प्रक्रिया

इस छत्र-योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी

7.1 आवेदन की प्रक्रिया

(i) समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत विहित प्रपत्र में आवेदक स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सम्बंधित बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाईके कार्यालय में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार आवेदन दे सकते हैं |

(ii) परवरिश योजना के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं | आंगनबाड़ी सेविका, आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जॉच कर अपने मंतव्य के साथ बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा करेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन पत्र एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु अग्रसारित करेंगे जो अपनी स्वीकृत्यादेश के साथ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करेंगे।

(iii) परवरिश योजनान्तर्गत नवीकरण की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में अनुदान की अवधि समाप्ति के कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी।

7.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया

(i) इस छत्र-योजना अंतर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक बैंक खाता हो सकेगा परन्तु सभी खातों के लिए बैंक में एक common customer-id होगा जिससे इस छत्र-योजनाधीन सभी बैंक खाता संबद्ध (linked) होंगे |

(ii) योजनावार बैंक खाता (parent account) का संचालन राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य संस्थान / कार्यालय / निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा |

(iii) धनराशि का वितरण parent-child account पद्धति के अनुसार जिला कार्यालय द्वारा अपने child account से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

7.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रक्रिया-

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जायेगा।

7.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र योजना का अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटि की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटको के सचालन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। साथ ही वार्षिक कार्य योजना एवं मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समेकित MIS पर मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुश्रवण की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र-योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिकायत जिला बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(वीरेन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक -: 5721 पटना -: दिनांक , 27.11.17

प्रतिलिपि -: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 5000 प्रतियाँ समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वीरेन्द्र कुमार) 27/11/17
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -: 5721 पटना -:दिनांक , 27-11-17

प्रतिलिपि -: माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सरकार पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 27/11/17
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -: 5721 पटना -:दिनांक , 27-11-17

प्रतिलिपि -: मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

(वीरेन्द्र कुमार) 27/11/17
संयुक्त सचिव